संख्या-145/2026/751/22-2-2025-17(831)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 11 मार्च, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी जदुनाथ पुत्र श्री रामलाल, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार के पत्र संख्या-10870/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-24.02.2025, दिनांक 05.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जदुनाथ पुत्र श्री रामलाल, बनास देवी थाना-निगोही, जनपद-शाहजहांपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा पेडों को गलत तरीको से काटने की जाँचकर्ताओ से शिकायत करने की रंजिश को लेकर दिनांक 10.04.2013 को 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चा से गोली मारकर वीरेश व सतीश नामक व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 519/2013 में धारा-147, 148, 302/149, 307/149, 504, 506 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-06, शाहजहांपुर के दण्डादेश दिनांक 24.03.2018 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 18.08.2023 तक अपरिहार 06 वर्ष, 01 माह, 03 दिन तथा 07 वर्ष, 08 माह, 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 18.08.2023 तक 67 वर्ष, 09 माह है।

3- सिद्धदोष बन्दी सिद्धदोष बन्दी जदुनाथ पुत्र श्री रामलाल की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी को मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 18.08.2023 तक अपरिहार 06 वर्ष, 01 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 08 माह, 01 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जदुनाथ (बन्दी संख्या-48635) पुत्र श्री रामलाल, निवासी जनपद-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शाहजहांपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या- 145/2026/751(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।